न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 197/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00363

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

नन्दलाल आत्मज कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक
2. श्री बी0सी0 मालवीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –20/10/2021

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम कोटड़ी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 493 की रकबा 0.81 हे0 भूमि दिनांक 5.7.1986 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री बी0सी0 मालवीय उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य होने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण भिजवाया गया है । यदि अप्रार्थी द्वज्ञरा कब्जा काश्त किया जारहा है तो कब्जा काश्त की जांच अपेक्षित है ।
4. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ही बहस में कथन किया है कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा दिनांक 5.7.1986 को भूमि का आवंअन नियमों के अन्तर्गत किया गया तथा आवंटन नियमों के अन्तर्गत अप्रार्थी को खसरा नम्बर 369 रकबा 5 बीघा नये खसरा नम्बर 493 रकबा 0.810 हे0 भूमि वाके ग्राम कोटडी तह0 रामगंजमण्डी आवंटित की गई जिस पर आवंटन तिथि से ही अप्रार्थी कब्जे काश्त में चला आ रहा है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं आवंटन नियम 18 के अन्तर्गत आवंटी को आवंटन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर देने चाहिये थे लेकिन प्रार्ाी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई, इसलिये प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अप्रार्थी को प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 0.8100 हे0 भूमि का आवंटन दिनांक 6.7.1986 को किया गया, जिसको 36 वर्ष हो चुके है । उक्त लम्बी अवधि के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी आवंटी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि आवंटन नियमों के अन्तर्गत अप्रार्थी को खातेदार घोषित कर जमाबंदी में अंकन कर दिया जाना चाहिये था । लम्बी

अवधि के बाद अप्रार्थी के विरूद्व निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना गेर कानूनी है जो मेन्टेनेबल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है । 30 वर्ष पश्चात पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, अप्रार्थी आवंटी का आवंटन तिथि के बाद से ही उक्त विवादित आराजी पर निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त विवादित आराजी पर लम्बे समय से जानवरों की घांस (चारा) बाद में सोयाबीन की फसल करता चला आ रहा है जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2077 से प्रमाणित है इस प्रकार अप्रार्थी आवंटी द्वारा भू–राजस्व आवंटन नियम 14(4) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी को आवंटन तिथि से 30 वर्ष बाद आवंटन निरस्त की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व आवंटन नियम 14(4) निरस्त किये जाने की कृपा करें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्ती का प्रकरण प्रेषित किया है । इसके विपरीत आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त होने की पुष्टि में खसरा खसरा गिरदावरी संवत 2077 की पेश की गई जिसमें सोयाबीन की फसल होना अंकित है । इससे यह तो स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त किया जा रहा है, तथा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की गई है । अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की पुष्टि मैं प्रस्तुत खसरा गिरदावरी अनुसार कब्जा काश्त करना साबित होता है । साथ ही यह आवंटन लगभग 36 वर्ष से भी अधिक पुराना है, यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई थी तो अब तक आवंटन निरस्त क्यों नही करवाया गया, इसके विपरीत जबकि अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त करना साबित किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है ।

6. परिणामतः तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना जांच किये ही प्रस्तुत किया जाने से अस्वीकार किया जाता है । अप्रार्थी का कब्जा काश्त करना साबित होने से अप्रार्थी के हक में दिनांक 5.7.1986 को किये गया आवंटन निरस्त योग्य नहीं पाते है । प्रकरण में अपने स्तर से जांच कर मौका रिपोर्ट अनुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

7. **निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।**

30/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा